

गुरु धासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक 2606 / रथा. / प्रशा. / 2005

बिलासपुर, दिनांक 30.06.2005

आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 28.06.2005, अ.अ.विषय क्रमांक-02 के निर्णयानुसार को मीनाक्षी जायसवाल (अनारक्षित) की नियुक्ति निम्न शर्तों पर विश्वविद्यालय की त्वापरताप दाखिलगी संबोधित अन्तर्विभाग के द्वारा विभिन्न विभागों के बीच वितरण के लिए उपलब्ध होने वाली अवधि के अंतर्गत बने परिनियम के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है। कार्यभार अप्रृष्ट करन का दायरे से का जाता है।

कार्यभार ग्रहण की अवधि के लिये वेतन/यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा। वेतनमान के साथ सम्मय-सम्मय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

यदि परिविकाशधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा विश्वविद्यालय को उनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का बेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है।

इनकी सेवायें चालचलन संबंधी जाँच उपयुक्त एवं अच्छा पाये जान पर हा वध हागा ।
दिनांक 15.07.2005 तक पद का कार्यभार ग्रहण किया जाना चाहिये, अन्यथा नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी । सेवा शर्त विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिनियम 31 एवं अध्यादेश-4 के अंतर्गत संचालित होगी ।

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय लिखित रूप से सूचित करना होगा कि उपर्युक्त सभी शर्तें
मान्य हैं।

उपर्युक्त सती में निरन्तर प्रदान की जाएँगी शिथिलता प्रदान नहीं की जावेगी। ऐसन एवं अन्य उपर्युक्तानुसार होगी, अन्य शर्त मान्य नहीं होगी।

नियुक्ति पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय योजनांतर्गत संचालित श्रीमती सुलोचना लखन लाल त्रिवेदी इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्युटिकल साइंस के रक्थापना मद में विकलनीय होगा।

कार्यप्रसिद्ध के आदेशानुसार

~~11097~~

बिलासपुर दिनांक 30.06.2005

पु.क्रमांक 2607 / रथा. / प्रशा. / 2005

प्रतिलिपि:-

- प्रतिक्रिया ।

 01. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेशित ।
कुलपति / कुलसचिव के सचिव / निज सहायक को कुलपति जी / कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ ।
 03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ।
 04. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) ।
 05. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) ।
 06. आयुक्त, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा एवं पेशन प्रकोष्ठ, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, छ.ग.शासन, रायपुर (छ.ग.) ।
 07. विभागाध्यक्ष, श्रीमती सुलोचना लखन लाल त्रिवेदी इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्युटिकल साइंस, गुरु घासीदास, विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ ।
 08. वित्ताधिकारी / सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
 09. क०० मीनाक्षी जायसवाल

इस निर्देश के साथ कि वे दिनांक 15.07.2005 तक आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण, आयु, पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रभाण पत्र भी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

- ## 10. निजी नस्ती

~~उपकुलसचिव (प्रशा. / स्था.)~~